Title: Need to bring sale of opium poppy, particularly in Rajasthan, within the ambit of Central Excise Act.

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : सभापति महोदय, मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि स्वापक औाधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2000 में डोडा पोस्त को ठेके पर देने का अधिकार राज्यों को दे रखा है। डोडा पोस्त पीने से मानव जीवन को सबसे ज्यादा हानि होती है। यदि किसी व्यक्ति के पास डोडा पोस्त बरामद हो जाता है तो उसे एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत 10 र्वा की कैद व एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। डोडा पोस्त का सेवन करने वाले लोग ज्यादातर अनपढ़ हैं, इसलिए या तो डोडा पोस्त को आबकारी अधिनियम में लिया जाये या राज्यों को केन्द्र सरकार निर्देश दे कि डोडा पोस्त को ठेके पर नहीं दिया जाये, ताकि मानव जीवन की रक्षा हो सके।